न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3325/2005/चितोडगढ

1 कनना उर्फ रूपा पुत्र मोती जाति गाडरी
2 नारायण पुत्र मोती जाति गाडरी सभी निवासीगण भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चितोडगढ

अपीलार्थीगण

बनाम

1 गोटिया पिता उदा जाति गाडरी निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री पूर्णा शंकर दशोरा वकील अपीलार्थीगण
श्री ओ.एल.दवे वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः.22.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ द्वारा अपील संख्या 272/03 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.4.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थीगण ने एक वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बडी सादडी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाटोली बागरियान स्थित आराजी खसरा नम्बर 2041 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। प्रतिवादी संख्या1 गोटिया के पिता उदा एवं वादीगण के पिता मोती सगे भाई थे। इसलिए उक्त आराजी दिनांक 28.5.1960 को उदा के नाम से आवंटन कराई जिसमें मोती की सहमति थी। हमारे संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1587/2 पर मोती व खसरा नम्बर 2041 पर उदा काश्त करने लगे। लेकिन 1962 में दोनों भाईयों ने आपसी समझौता कर समस्त चल एवं अचल सम्पति का विभाजन आधे आधे हिस्से का

कर लिया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2041 का भी विभाजन कर लिया एवं इसके उत्तर का हिस्सा उदा व दक्षिण का हिस्सा मोती के हिस्से में आया। इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। सम्वत 2028 में मोती एवं 30 वर्ष पूर्व उदा का देहान्त हो गया। वादी को खसरा नम्बर 2041 के आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध वादी अपीलार्थी जारी करने हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 10.10.2003 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर लिया। इसके विरूद्ध वादी अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.4.2005 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त करने का निर्णय यथावत रखते हुए काउन्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि के आवंटन के समय मोती एवं उदा दोनों भाई शामिल में ही रहते थे जिससे यह आराजी संयुक्त परिवार की होना एवं संयुक्त परिवार के लिए एक भाई उदा के नाम आवंटित कराया जाना स्पष्ट है। संयुक्त परिवार में आवंटित भूमि को उदा की स्वअर्जित भूमि नहीं माना जा सकता। विवादित भूमि में वादी अपीलार्थीगण का आधा हिस्सा है एवं इसी अनुरूप मौके पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि के आधे हिस्से पर वादी का एवं आधे हिस्से पर प्रतिवादी का कब्जा होना साक्ष्यों से साबित कराया गया है। तहसीलदार, डूंगला मौका रिपोर्ट दिनांक 4.9.97 से भी आधे हिस्से पर वादी अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। साक्ष्यों से विवादित भूमि के आधे हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त होना एवं मौखिक बंटवारा किया जाना साबित है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2041 प्रत्यर्थी के पिता उदा की स्वअर्जित भूमि है। यह भूमि उदा को ही आवंटित की गई थी एवं उदा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मोती का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा विवादित भूमि संयुकत परिवार की होना अथवा संयुक्त खातेदारी की होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। संयुक्त रूप से आवंटित कराया जाना भी साबित नहीं होता है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित भूमि उदा को आवंटित हुई थी एवं संयुक्त रूप से आवंटित कराया जाना साबित नहीं कराया गया है। विवादित भूमि पर मोती अथवा अपीलार्थीगण का कब्जा होना एवं 40 वर्ष से कब्जा होना साबित नहीं होना मानकर वाद खारिज किया है। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध वादी जारी की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित मानते हुए आराजी खसरा नम्बर 1587/2 संयुक्त खातेदारी की होने से सह खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर काउन्टर क्लेम को खारिज किया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 प्रदर्श 1 में आराजी खसरा नम्बर 2041 गोटिया पिता उदा के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 प्रदर्श डी1 में गोटिया पिता उदा गैर खातेदार तथा इन्तकाल संख्या 296 दिनांक 15.1.76 से खातेदारी दी जाने का नोट अंकित है। आराजी खसरा नम्बर 1587/2 को दोनों पक्ष शामलाती खातेदारी की होना एवं दोनों का आधा आधा हिस्सा होना मानते हैं।

8. राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 2041 प्रतिवादी की अकेले की खातेदारी की भूमि है तथा उसे आवंटित भूमि है जो स्वअर्जित है। वादी का यह कथन कि आपसी बंटवारा में खसरा नम्बर 2041 का दक्षिण हिस्सा वादीगण को मिला, मानने योग्य नहीं है क्योंकि वादी अपीलार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। कथित बंटवारा भी मोखिक होना कथन किया गया है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.4.2005 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य